अध्याय 2
संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 का अनुपालन

संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को कुछ प्रतिष्ठानों में संविदा श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में उन्हें एवं उनसे जुड़े मामलों के उन्मूलन के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम लागू होते हैं

(क) प्रत्येक प्रतिष्ठान जिसमें बीस या अधिक कामगार कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन संविदा श्रमिक के रूप में कार्यरत थे;

(ख) हर ठेकेदार को जिसने पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन 20 या अधिक कामगारों को नियोजित किया हो; बशर्ते कि यथोचित सरकार, ऐसा करने के इरादे से कम से कम दो महीने का नोटिस देने के बाद, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट बीस से कम कार्यकर्ताओं को रोजगार देने वाले किसी भी प्रतिष्ठान या ठेकेदार पर लागू करती है।

यह अधिनियम ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा, जिसमें केवल एक आंतरायिक[4] या आकस्मिक प्रकृति का काम किया जाता है।

इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सीएलआरए, 1970 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार द्वारा सीएलआरआर, 1971 बनाया गया था। ऐसे नियम विभिन्न मामलों के लिए दिए बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं:

- धारा 7 के तहत जिस तरह से प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया जा सकता है, इसके लिए शुल्क की लेवी और पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप;
- धारा 13 के तहत लाइसेंस के अनुदान या नवीकरण के आवेदन के प्रारूप और उसमें शामिल विवरण;

[4]एक प्रतिष्ठान में किए गए कार्य को एकआंतरायिक प्रकृति के रूप में समझा नहीं जाएगा (i) यदि यह पूर्ववर्ती बारह महीनों में एक सौ और बीस दिनों से अधिक के लिए किया गया था, या (ii) अगर यह सीजनल करैक्टर और एक वर्ष में साठ दिनों से अधिक के लिए किया जाता है

- लाइसेंस प्रदान करने या लाइसेंस देने से इनकार करने वाले मामलों में और लाइसेंस देने से इंकार किये जाने के मामले में आवेदन के संबंध में जांच किस तरीके से की जानी चाहिए;
- एक लाइसेंस का प्रारूप, जिसे धारा 12 के तहत दिया जा सकता है या नवीकरण किया जा सकता है और जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है या नवीकरण किया जा सकता है, लाइसेंस के अनुदान या नवीकरण के लिए शुल्क की वसूली और कोई राशि को सुरक्षा के रूप में जमा करना, ऐसी स्थितियों के निस्पदान के लिए:
- जिन परिस्थितियों में लाइसेंस की धारा 14 के तहत परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है;
- इस अधिनियम के अनुसार, समय के भीतर आवश्यक सुविधाएं, जो ठेकेदार की तरफ से मुहैया की जायेगी एवं बनाए रखी जाएगी, और ठेकेदार द्वारा न प्रदान करने पर ये सुविधाएँ, मूल नियोक्ता द्वारा प्रदान की जायेगी;
- कैंटीन की संख्या और प्रकार, विश्राम हेतु कमरे, शौचालय और मूत्रालय जिन्हें प्रदान और रखरखाव किया जाना चाहिए;
- उपकरण का प्रकार जिसे प्राथमिक चिकित्सा बक्से में प्रदान किया जाना चाहिए;
- अवधि जिसके अंतर्गत, संविदा श्रमिक को देय मजदूरी का ठेकेदार द्वारा धारा 21 के उप-धारा (1) के तहत भुगतान किया जाना चाहिए;
- मूल नियोक्ता और ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों और अभिलेखों का प्रारूप;
- रिटर्न, फॉर्म प्रस्तुत करना एवं प्राधिकार, जिसके अंतर्गत ऐसी रिटर्न प्रस्तुत किए जा सकते हैं;
- संविदा श्रमिकों के संबंध में किसी भी जानकारी या आंकड़ों का संग्रह; तथा
- इस अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य मामले, जो प्राधिकृत हो;

मुख्य श्रम आयुक्त और उसके अधीनस्थ संरचनाओं को सीएलआरए, 1970 और सीएलआरआर, 1971 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेलवे बोर्ड ने समय-समय पर अपने क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र[5] में भारतीय रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को ठेका देने की गतिविधियों से पूर्व अपने संबंधित कार्मिक विभाग से संपर्क करने के लिए निर्देश जारी किए ताकि सीएलआरए, 1970 और सीएलआरआर, 1971 का कोई उल्लंघन न हो। इस पत्र में रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिए गए हैं कि अधिनियम और नियमों के तहत मूल नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत कराना चाहिए,

[5]पत्र संख्या: ई (एलएल) 2005 एटी सीउ.रे. /16 दिनांक 29.8.2006

ठेकेदारों को श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए, मूल नियोक्ता को निर्धारित सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित दायित्वों का अनुपालन, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान, निर्धारित रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव और लाइसेंस देने वाले अधिकारी को रिटर्न जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण और मूल नियोक्ता एवं ठेकेदारों के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में, निर्धारित[6] मूल नियोक्ता द्वारा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में आश्वासन प्राप्त करना, उनके द्वारा संबंधित श्रम आयुक्त के कार्यालयों को रिटर्न जमा करना, कार्य स्थल पर नोटिस का प्रदर्शन करना, संविदा श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ, संविदा श्रमिकों को भुगतान के तरीके और निर्धारित रजिस्टरों एवं रिपोर्टो का रखरखाव तथा अनुरक्षण आदि के संबंध में वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की लेखा परीक्षा ने समीक्षा की। उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षा जाँच - परिणाम नीचे दिए गए हैं:

2.1 अधिनियम के तहत मूल नियोक्ता का पंजीकरण

सीएलआरए, 1970 के प्रावधानों[7] के अनुसार, एक प्रतिस्थान के प्रत्येक मूल नियोक्ता जिस पर ये अधिनियम लागू होते हैं (जहां पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन में सभी ठेकेदारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत कार्यकर्ताओं की संख्या 20 से अधिक है), स्थापना के पंजीकरण के लिए निर्धारित तरीके से पंजीकरण अधिकारी (मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन) को एक आवेदन करता है।

लेखा परीक्षा ने पाया कि समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से, 140 संविदाओं में रेलवे प्रशासन पंजीकृत था और शेष 323 संविदाओं में रेलवे प्रशासन पंजीकृत नहीं था।

इस प्रकार, रेलवे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि, संबन्धित नामित मूल नियोक्ता, जो स्वयं के परिसर में किए गए कार्य/गतिविधियां के लिए संविदा करते हैं, द्वारा स्वयं को श्रम आयुक्तों के कार्यालय में आवश्यक रूप से पंजीकरण कराएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी।

अनुबंध 2.1

[6]रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: ई/एलएल/70 एटी/सीउ.रे./1-3 दिनांक 15.10.1971 में मंडल के डिवीजनल ऑफिसर, सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, कार्यशालाओं के संबंध में डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर या वर्क्स मैनेजर को मंडल के स्टोर डिपो के संबंध में स्टोर नियंत्रक, सीधे मुख्यालय द्वारा नियंत्रित अनुबंधों के संबंध में निर्माण और प्रमुख विभागों के संबंध में कार्यकारी अभियंता को मूल नियोक्ता वर्गीकृत किया।

[7]सीएलआरए, 1970 की धारा 7

2.1.1 मूल नियोक्ता द्वारा काम शुरू करने के बारे में श्रम आयुक्त को सूचना देना

प्रत्येक मूल नियोक्ता, प्रत्येक ठेकेदार के प्रत्येक संविदा के प्रारंभ या समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, अधिनियम की धारा 28 के तहत नियुक्त निरीक्षक (संबंधित श्रम आयुक्त के अंतर्गत) को, संविदाके प्रारंभ या समाप्ति के वास्तविक तारीखों को सूचित करते हुए, रिटर्न प्रस्तुत करेगा **(परिशिष्ट III)**[8]।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 17 संविदाओ[9] के संबंध में, मूल नियोक्ता ने कार्य शुरू करने से संबन्धित रिटर्न प्रस्तुत की,
- 166 संविदाओ[10] के संबंध में, मूल नियोक्ता ने ठेके के प्रारंभ और/या पूरा होने पर रिटर्न जमा नहीं किया; तथा
- शेष 278 संविदाओ के संबंध में, संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए।

इस प्रकार, मूल नियोक्ता ने संविदा के प्रारंभ के बारे में श्रम आयुक्त के संगठन को समीक्षा किये गए संविदाओं में से केवल चार प्रतिशत (463 में से 19) के बारे में सूचित किया।

2.1.2 मूल नियोक्ता द्वारा श्रम आयुक्त को वार्षिक रिटर्न का प्रस्तुतीकरण

नियमानुसार[11] एक पंजीकृत प्रतिष्ठान का प्रत्येक मूल नियोक्ता प्रति वर्ष दो प्रतियों में रिटर्न इस प्रकार भेजेगा ताकि संबंधित पंजीकरण अधिकारी तक उस वर्ष जिससे यह संबंधित है, के समाप्ति के बाद 15 फरवरी से पहले पहुंचे। वार्षिक रिटर्न, प्रपत्र XXV **(परिशिष्ट IV)** में मूल नियोक्ता द्वारा लगाये गए ठेकेदारों के विवरण के साथ ही साथ सीएलआरए के तहत मूल नियोक्ता के रूप में स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से सीधे लगाये गए या ठेकेदारों के माध्यम से लगाये गए ठेका श्रमिकों के सम्बन्ध में सूचना साथ ही श्रम आयुक्त के संगठन द्वारा विनियमित और निगरानी रखने वाले ठेकेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से सम्बंधित होता है ।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- उत्तर और मध्य रेलवे ने मूल नियोक्ता के रूप में 12 संविदाओं (प्रत्येक छः) के सम्बन्ध में इन रिटर्न्स को प्रस्तुत किया,

---

[8]सीएलआरआर, 1971 के नियम 81 (3) के अनुसार फार्म VI ख

[9]उ.म.रे. (2), म.रे. (6), पू.रे. (1), उ.रे. (6), द.प.रे. (1), आरपीयू / मेट्रो (1)

[10]म.रे. (97), पू.रे. (8), उ.रे. (1), उ.प.रे. (30), द.प.रे. (23), डीएलडब्ल्यू (3), सीएलडब्ल्यू (6)

[11]सीएलआरआर 1971 के नियम 81 (3) और 82 (2), फॉर्म XXV

- 380 संविदाओं में, मूल नियोक्ता के रूप में रेल प्रशासन ने रिटर्न जमा नहीं किया; तथा
- शेष 71 संविदाओं में, लेखा-परीक्षा को जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए।

इस तरह, लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए संविदाओं में से केवल तीन प्रतिशत (463 में से 12), मूल नियोक्ताओं द्वारा लगाये गए ठेकेदारों के विवरण के सम्बन्ध में सूचना देने वाली रिटर्न को श्रम आयुक्तों के कार्यालयों को प्रस्तुत किया गया।

अनुबंध 2.1

2.2 ठेकेदार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना

प्रावधानों के अनुसार[12], कोई ठेकेदार, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, संविदा श्रमिक के माध्यम से कोई भी कार्य तब तक शुरू या निष्पादित नहीं करेगा जब तक कि वह लाइसेंसिंग अधिकारी[13] द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के अधीन एवं अनुरूप न हो।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 34 संविदाओं में, ठेकेदारों ने श्रम आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित लाइसेंस अधिकारियों से काम शुरू करने से पहले अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किया,
- 50 संविदाओं में, कार्यों के प्रारंभ के बाद लाइसेंस प्राप्त किए गए थे। इन संविदाओं मे लाइसेंस प्राप्त करने मे 750 दिन तक की देरी हुई।
- 172 संविदाओं में, लाइसेंस प्राप्त नहीं हुए; तथा
- 207 संविदाओं में, लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस प्रकार, केवल 18 प्रतिशत संविदा (अर्थात 463 संविदाओं में से 84[14]) निष्पादनाधीन रहे/निष्पादित किये गए, जहां सीएलआरए, 1970 के प्रावधान के अनुसार ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किए गए थे।

अनुबंध 2.2

[12]सीएलआरए, 1970 कीधारा 12 सीएलआरआर, 1971 केनियम 21 के साथ पढ़ी गई

[13]लाइसेंसिंग अधिकारी श्रम आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकारी है

[14]उ.म.रे. (13), म.रे. (29), पू.रे. (9), उ.रे. (13), उ.प.रे. (12), द.प.रे. (5), आरपीयू / मेट्रो (1), सीएलडब्ल्यू (2)

2.2.1 कार्य स्थल पर लाइसेंस का प्रदर्शन

नियम[15] के अनुसार, लाइसेंस की एक प्रतिलिपि प्रमुख रूप से उस परिसर में प्रदर्शित की जाएगी जहां संविदा का काम किया जा रहा है। उन 84 संविदाओं, जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त किए गए थे, में से

- केवल 37 संविदाओं में, लाइसेंस संबंधित कार्यस्थलों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए।
- 47 संविदाओं[16] के संबंध में, लाइसेंस कार्य स्थल पर प्रदर्शित नहीं पाये गए।

इस प्रकार, केवल आठ प्रतिशत (463 में से 38) संविदाओ में लाइसेंस विवरण प्रदर्शित किए गए थे।

2.2.2 नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या

नियमानुसार[17] प्रतिष्ठान में संविदा श्रमिक के रूप में कार्यरत कामगारों की संख्या किसी भी दिन, लाइसेंस में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

संविदा लाइसेंस प्राप्त किये गए 84 अनुबंधों में से, 14 संविदाओ[18] में कामगारों की तैनाती श्रम विभाग से प्राप्त लाइसेंस में निर्दिष्ट संख्या से अधिक थी। इन संविदाओ में 200 तक ज्यादा कर्मचारी शामिल थे। कार्यरत कामगारों के निर्धारित संख्या के संदर्भ में, संविदा लाइसेंस की शर्तों और नियमों का अनुपालन केवल 15 प्रतिशत (463 में से 70) संविदाओ में पाया गया।

2.2.3 लाइसेंस का नवीकरण

नियम[19]मे यह भी वर्णित है कि नियम 25 के तहत दिए गए प्रत्येक लाइसेंस, या सीएलआरआर, 1971 के नियम 28 के तहत नवीनीकृत किए गए प्रत्येक लाइसेंस, उस तिथि से 12 महीने के लिए लागू रहेगा।

संविदा लाइसेंस प्राप्त हुए 84 संविदाओ में से, 70 संविदाओ में, नवीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लाइसेंस की वैधता समाप्त नहीं हुई थी। तथापि, 14[20] संविदाओं में, वैधता समाप्त होने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किए गए थे।

---

[15]सीएलआरआर, 1 9 71 केनियम 25 (2) (ix)

[16]उ.म.रे. (11), म.रे. (16), पू.रे. (2), उ.रे. (3), उ.प.रे. (11), द.प.रे. (3), आरपीयू / मेट्रो (1)

[17]सीएलआरआर, 1971 के नियम 25 (2) (ii)

[18]उ.म.रे. (7), म.रे. (4), उ.रे. (1), उ.प.रे. (1), सीएलडब्ल्यू (1)

[19]सीएलआरआर, 1971 के नियम 27

[20]उ.म.रे. (2), म.रे. (6), पू.रे. (2), उ.रे. (4)

2.2.4 ठेकेदार द्वारा श्रम आयुक्त को प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न

नियम[21] के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को छमाही रिटर्न फॉर्म XXIV **(परिशिष्टV)** में श्रम आयुक्त के कार्यालय में दो प्रतियों में भेजना चाहिए ताकि छमाही समाप्त होने के करीब 30 दिनों के व्यतीत होने से पहले संबंधित लाइसेंस अधिकारी के पास पहुंच सकें। इस रिटर्न मे मुख्य रूप में संविदा की अवधि के साथ ठेकेदार, प्रतिष्ठान और मूल नियोक्ता का नाम और पता, छमाही के दौरान दिनों की संख्या, छमाही के दौरान किसी भी दिन नियोजित कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या जिसमे पुरुष, महिलाएँ व बच्चों की संख्या अलग अलग शामिल होता है। इसके अलावा रिटर्न में साप्ताहिक अवकाश, काम के दैनिक घंटे, कार्य किये मानव दिवस की संख्या, मजदूरी की राशि, मजदूरी से कटौती की राशि के साथ कैंटीन की सुविधाएं, विश्रामकक्ष, पेयजल की सुविधा, क्रेच, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- केवल एक संविदा में ठेकेदार ने रिटर्न जमा किया,
- 285 संविदाओं में ठेकेदारों ने श्रम आयुक्तों के कार्यालय में कोई रिटर्न जमा नहीं किये; तथा
- शेष 177 संविदाओं में जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड मे से, एक को छोडकर किसी भी मामले में ठेकेदारों ने श्रम आयुक्त के संबंधित कार्यालयों में रिटर्न जमा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या, नियोजित किये गये दिन और अन्य विवरण की सूचना श्रम आयुक्त के कार्यालय को नहीं भेजी जा रही है।

अनुबंध 2.1

2.3 श्रमिकों के लिए सुविधाएं

2.3.1 विश्राम कक्षों का प्रावधान

सीएलआरए, 1970 के प्रावधानों[22] के अनुसार, हर जगह, जहां संविदा श्रमिकों को उन प्रतिष्ठान के काम के संबंध में रात को रुकने की आवश्यकता होती है, जिस पर यह कानून लागू होता है, ठेकेदार द्वारा संविदा श्रमिकों के उपयोग के लिए निर्धारित समय के भीतर पर्याप्त संख्या में विश्राम कक्ष की या ऐसे अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करेगा और उसका रख रखाव करेगा। विश्राम कक्ष या वैकल्पिक आवास पर्याप्त रूप से प्रकाश युक्त, हवादार और स्वच्छ तथा आरामदायक स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

[21]सीएलआरआर, 1971 के नियम 82 (1), (इस रिटर्न को मार्च 2017 के बाद बंद कर दिया गया है)
[22]सीएलआरए, 1970 की धारा 17

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- मध्य रेलवे के 14 संविदाओं में विश्राम कक्ष प्रदान किए गए,
- मध्य रेलवे के 7 संविदाओं में विश्राम कक्ष प्रदान नहीं किए गए
- 371 संविदाओं में, विशेष रूप से संविदा श्रम की तैनाती के कारण आठ घंटे शिफ्ट के आधार पर विश्राम कक्ष की आवश्यकता नहीं देखी गई;
- शेष 71 संविदाओं में, लेखा परीक्षा के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।

इस प्रकार, लेखा परीक्षा में सम्मिलित किये गए संविदाओं में से 15 प्रतिशत (463 में से 71) संविदाओं में विश्राम कक्ष के प्रावधान का आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुबंध 2.1

2.3.2 पीने के पानी और मूत्रालयों के प्रावधान

ठेकेदार या मूल नियोक्ता द्वारा सुविधाजनक स्थान पर पेयजल, मूत्रालय आदि की सुविधा के लिए भी प्रावधान होना चाहिए[23]। लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 31 संविदाओं में, पेयजल, मूत्रालय आदि की सुविधा ठेकेदारों द्वारा प्रदान की गई थी,
- 332 संविदाओं में, उपरोक्त आवश्यकतायें रेलवे द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से पूरी की गयी, क्योंकि उनकी तैनाती रेलवे के परिसर में थी;
- शेष 100 संविदाओं में, लेखा-परीक्षा को सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

समीक्षा किए गए संविदाओं में 21 प्रतिशत (463 में से 100) में पीने के पानी और मूत्रालय के प्रावधान के बारे में लेखा परीक्षा को आश्वासन नहीं मिल सका।

2.3.3 प्राथमिक चिकित्सा पेटिका के प्रावधान

नियम[24] के अनुसार ठेकेदार या मूल नियोक्ता द्वारा प्रयाप्त संख्या में प्राथमिक चिकित्सा पेटिका और उसमें उल्लिखित वस्तुओं की सूची उपलब्ध रखना/उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 143[25] संविदाओं के संबंध में, कार्य स्थल पर अच्छी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स पाये गए,

[23]सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 18 व 20

[24] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 19 (सी.एल.आर.आर. 1971 के नियम 58 एवं 59 के साथ पढ़े)

[25] उ.म.रे. (9), म.रे. (65), पू.रे. (23), उ.रे. (34), उ.प.रे. (4), आर.पी.यू./मेट्रो (2), डी.एल.डब्लयू. (6)।

- 95[26] संविदाओं में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध नहीं थे; तथा
- 225 संविदाओं में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की उपलब्धता का पता नहीं लगाया जा सका।

लेखा परीक्षा में दवाओं और अन्य संबंधित घटकों सहित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की उपलब्धता के बारे में आश्वासन केवल 31 प्रतिशत (463 में से 143) संविदाओं में प्राप्त किया जा सका।

2.4 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी से संबंधित नियम[27] निम्नानुसार हैं:

1. कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा मजदूरी की अवधि और मजदूरी के वितरण का स्थान और समय दिखाते हुए एक नोटिस लगाना होगा, जिसकी एक प्रतिलिपि मूल नियोक्ता या उसके नामांकित व्यक्ति को पावती के अधीन भेजना होगा।

2. ठेकेदार, संविदा श्रमिक के रूप में उनके द्वारा नियोजित प्रत्येक कामगार को मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसी मजदूरी का भुगतान निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

3. प्रत्येक मूल नियोक्ता, ठेकेदार द्वारा मजदूरी के वितरण के समय में उपस्थित होने के लिए अधिकृत रूप से प्रतिनिधि को नामित करेगा और इस तरह के प्रतिनिधि को, इस प्रकार से, जैसा कि निर्धारित किया जाय, मजदूरी के भुगतान की राशि को प्रमाणित करना होगा।

4. मूल नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करना ठेकेदार का कर्तव्य होगा।

5. यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है या कम भुगतान करता है, तो मूल नियोक्ता पूरा भुगतान या बच गई शेष राशि जैसी भी स्थिति हो, के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। मूल नियोक्ता को ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए संविदा श्रमिक को और ऐसे भुगतान की गई राशि की वसूली या तो ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय ऋण से करनी होगी।

463 संविदाओं में से,

- सभी 463 संविदाओं में, ठेकेदारों द्वारा मूल नियोक्ता/मूल नियोक्ता के नामांकित व्यक्ति को मजदूरी के भुगतान के संबंध में नोटिस नहीं भेजा गया या रिकॉर्ड में पाया नहीं गया,

[26] उ.म.रे. (20), म.रे. (19), उ.रे. (27), उ.प.रे. (29)।

[27] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 21 और सी.एल.आर.आर. 1971 का नियम 71।

- लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए 463 संविदाओं में से किसी भी संविदा के संबंध में संविदा श्रमिक के लिए देय मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने सम्बन्धी प्रक्रिया और कम भुगतान के मामले में मूल नियोक्ता या अन्य प्राधिकारी को भुगतान के सम्बन्ध में सूचना देने तथा परिणाम स्वरुप ठेकेदार से वसूली करने की प्रक्रिया से संबन्धित निर्देश जारी नहीं किये गए ।
- रेलवे प्रशासन ने सभी 463 संविदाओं के संबंध में मजदूरी के वितरण के समय अपने अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु नामांकित नहीं किया।
- 58 संविदाओं में, रेलवे के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भुगतान किया गया था, हालांकि इन्हें रेलवे द्वारा नामित नहीं किया गया था,
- 111 संविदाओं में, रेलवे के किसी भी प्रतिनिधि की उपस्थिति में भुगतान नहीं किए गए थे,
- 82 संविदाओं में, रेलवे के आधिकारिक प्रतिनिधि की उपस्थिति, हालांकि, भुगतान के समय आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ये भुगतान बैंक के माध्यम से किए गए थे, बाद में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन्हें सत्यापित करना आवश्यक था, जो रेलवे द्वारा नहीं किया गया; तथा
- 212 संविदाओं में, संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और मूल नियोक्ता उन संविदाओं के लिए भी अपने प्रतिनिधि को नामांकित करने में असफल हुए, जहां उन्हें मूल नियोक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था।

अनुबंध 2.3

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र[28] (अक्टूबर 2015) के माध्यम से सभी क्षेत्रीय रेलवे को बैंक/चेक के माध्यम से संविदा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 82 संविदाओं के संबंध में, मजदूरी का भुगतान बैंकों के माध्यम से किए गए,
- 169 संविदाओं के संबंध में, मजदूरी का भुगतान नकद में किया गया; तथा
- 212 संविदाओं के संबंध में, संबंधित रिकॉर्ड लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं किए गए।

रेलवे बोर्ड के एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन केवल 18 प्रतिशत (463 में से 82) संविदाओं में पाया गया था।

अनुबंध 2.4

[28] रेलवे बोर्ड पत्र संख्या ई (एल.एल.) 2015/पी.एन.एम/ए.आइ.आर.एफ./1 दिनांक 20/10/2015

इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को सभी संविदा श्रमिकों के लाभ के लिए संविदा श्रमिकों को रोजगार की शर्तों को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है। प्रावधानों[29] के अनुसार, मजदूरी की दर, काम के घंटे, मजदूरी की अवधि, भुगतान की तारीख, अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षकों के नाम और पते, और बकाया मजदूरी के भुगतान की तारीखों को प्रदर्शित करते हुए, अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में, जिसे अधिसंख्य श्रमिक द्वारा समझा जाता है, प्रदर्शित किया जाएगा, ठेकेदार या मूल नियोक्ता द्वारा ठेका प्रतिष्ठान/कार्य स्थल पर विशिष्ट स्थानों में नोटिस लगाया जाएगा। इसके अलावा, नोटिस एक साफ और सुपाठ्य स्थिति[30] में ठीक से बनाए रखा जाएगा। नोटिस की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जाने की आवश्यकता है और जब भी कोई परिवर्तन होगा, उसे तुरंत सूचित किया जाएगा[31]।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 45 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदार ने उपरोक्त नियमों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किया,
- 225 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदार ने उपरोक्त नियमों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित नहीं किया,
- 94 संविदाओं के संबंध में, उपर्युक्त नियमों के अनुपालन के लिए नोटिस प्रदर्शित करने की प्रयोज्यता, काम की प्रकृति के कारण उत्पन्न नहीं हुई,
- 99 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए केवल 10 प्रतिशत संविदाओं (463 में से 45) में संविदा श्रम को रोज़गार की शर्तों के बारे में सूचित किया गया।

अनुबंध 2.5

2.5 निर्धारित रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव और संरक्षण

(क) मूल नियोक्ता द्वारा अभिलेखों का रखरखाव

प्रत्येक पंजीकृत प्रतिष्ठान के संबंध में, मूल नियोक्ता प्रपत्र XII (**परिशिष्टVI**) में 'ठेकेदारों का रजिस्टर' का रखरखाव करना आवश्यक है जिसमें मूल नियोक्ता का नाम और पता, प्रतिष्ठान का नाम और पता, ठेकेदार का नाम और पता, संविदा की प्रकृति, संविदा कार्य के स्थान, संविदा की अवधि और ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा श्रम की अधिकतम संख्या, को प्रदर्शित करना है[32]।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

[29] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 29(2), सी.एल.आर.आर. 1971 के नियम 81 (1)(i) के साथ पढ़े।
[30] सी.एल.आर.आर. 1971 का नियम 81(1)(i)।
[31] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 29(2) और सी.एल.आर.आर. 1971 का नियम 81(2) के साथ पढ़े।
[32] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 74 और सी.एल.आर.आर. 1971 का नियम 29(1) के साथ पढ़े।

- उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के अनुपालन में, मध्य रेलवे के 30 संविदाओं के संबंध में, अभिलेख/पंजियों को रेलवे द्वारा अपेक्षित फार्म XII में रखरखाव किया गया,
- 313[33] संविदाओं के संबंध में, उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के अनुपालन के लिए अपेक्षित प्रपत्र XII में रेलवे द्वारा कोई अभिलेख/पंजियों को नहीं बनाए रखा।
- 120 संविदाओं के संबंध में, उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के अनुपालन के लिए जरूरी अभिलेख/पंजियों को रेलवे द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) ठेकेदारों द्वारा अभिलेखों का रखरखाव

प्रत्येक, ठेकेदार को भी कई महत्वपूर्ण अभिलेख का रखरखाव अपेक्षित है। इसमें मस्टर रोल, वेतन रजिस्टर, कटौती के रजिस्टर, ओवर टाइम का रजिस्टर, जुर्माना रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर, मजदूरी स्लिप्स[34] इत्यादि शामिल है।

लेखापरीक्षा ने 463 संविदाओं के संबंध में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 और सी एल आर आर, 1971 के द्वारा अपेक्षित रिकॉर्ड और रजिस्टरों के रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की और निम्नलिखित मामलो को देखा गया:

- उपस्थिति रजिस्टर
  - 164 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने उपस्थिति रजिस्टरों को बनाया,
  - 112 संविदा के संबंध में, ठेकेदारों ने उपस्थिति रजिस्टर को नहीं बनाया,
  - शेष 187 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- मजदूरी रजिस्टर
  - 122 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने मजदूरी रजिस्टरों को बनाया ,
  - 156 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने मजदूरी रजिस्टरों को नहीं बनाया,
  - शेष 185 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- कटौती के रजिस्टर
  - केवल तीन संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने कटौती के रजिस्टर बनाए,
  - 262 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने कटौती के रजिस्टर नहीं बनाए,
  - शेष 198 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।

[33] उ.म.रे. (86), म.रे. (62), पू.रे. (11), उ.रे. (74), उ.प.रे. (34), द.प.रे. (29), आर.पी.यू./मेट्रो (11), डी.एल.डब्ल्यू . (4) सी.एल. डब्ल्यू. (2)।

[34]सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 29 के साथ सी.एल.आर.आर. 1971 के नियम 78 पढ़े।

- ओवरटाइम रजिस्टर
  - केवल चार संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने ओवरटाइम रजिस्टर बनाए,
  - 261 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने ओवरटाइम रजिस्टर नहीं बनाए,
  - शेष 198 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- जुर्माना के रजिस्टर
  - केवल दो संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने जुर्माना के रजिस्टर बनाए,
  - 263 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने जुर्माना के रजिस्टर नहीं बनाए,
  - शेष 198 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- अग्रिमों का रजिस्टर
  - केवल दो संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने अग्रिमों का रजिस्टर बनाए,
  - 263 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने अग्रिमों की पंजिका नहीं बनाए,
  - शेष 198 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- मजदूरी पर्ची
  - केवल 18 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने वेतन पर्ची बनाए,
  - 246 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने वेतन पर्ची नहीं बनाए,
  - शेष 199 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

अनुबंध 2.6

(ग) अभिलेखों का संरक्षण

जहां तक मूल नियोक्ता तथा ठेकेदारों द्वारा अभिलेखों के संरक्षण का संबंध है, नियमानुसार[35] सभी रजिस्टर तथा अभिलेख उनमे अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कलेंडर वर्ष तक संरक्षित रखे जाने चाहिए।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से, 108 संविदा 31 मार्च 2017 तक पूर्ण हो गई। इन 108 संविदाओं में,

- 2 संविदाओं के संबंध में, उक्त नियमों के अनुपालन मे अभिलेखों का संरक्षण किया गया,
- 93[36] संविदाओं के संबंध में, उक्त नियमों के अनुपालन मे अभिलेखों का संरक्षण नहीं किया गया,

[35]सी.एल.आर.आर. 1971 की धारा 80 (3)

[36]उ.म.रे.(47; केवल निविदा तथा संविदा मिसिल संरक्षित थे), म.रे.(7), पू.रे.(12), उ.रे.(7), उ.प.रे.(1), द.प.रे.(15), आर.पी.यू./मेट्रो(2), सी.एल.डब्ल्यु(2)

- शेष 13[37] संविदाओं के संबंध में, लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

संविदा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों और नियमों के अनुपालन के लिए किसी भी संस्था को इन अभिलेखों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तथापि, महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे मजदूरी तथा ओवरटाइम रजिस्टर का क्रमशः 122 (26 प्रतिशत) तथा 4 (1 प्रतिशत) संविदाओं के संबंध मे रख-रखाव का अनुपालन किया गया। मजदूरी पर्ची का लेखा परीक्षा किए गए संविदाओं मे से केवल 18 (4 प्रतिशत) संविदाओं मे रख-रखाव किया गया। आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव न होने से वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करना न केवल रेलवे के लिए बल्कि किसी अन्य निगरानी संस्थाओ के लिए भी अव्यवहारिक है।

2.6 न्यूनतम मजदूरी अधिनयम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी विनियम, 1950 का अनुपालन

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कुछ नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने के लिए अधिनियमित किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनयम, 1948 की धारा 3 के अनुसार,

(क) सरकार अनुसूची के भाग I या भाग II में निर्दिष्ट नियोजनों और धारा 27 के तहत अधिसूचना द्वारा किसी भाग में जोड़े गए नियोजन, बशर्ते के उचित सरकार अनुसूची के भाग 2 में वर्णित नियोजन में नियोजित कर्मियों के संबंध में, इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूरे राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के स्थान पर, राज्य के एक भाग या पूरे राज्य में वर्गीकृत श्रेणी या ऐसी नियोजन की श्रेणियों के लिए ऐसी दर निर्धारित करे;

(ख) जैसा कि उपयुक्त हो, ऐसे अंतराल जो पांच साल से अधिक न हों पर समीक्षा करें, निर्धारित वेतन की न्यूनतम दरों को संशोधित करें, यदि आवश्यक हो, बशर्ते कि किसी भी कारण से उचित सरकार ने पाँच वर्ष के किसी भी अंतराल में किसी भी अनुसूचित नियोजन के संबंध में निर्धारित मजदूरी की दर, की समीक्षा नहीं की है। यदि आवश्यक हो, उक्त पाच वर्ष की अवधि के उपरांत न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और जब तक ये संशोधित नहीं होती हैं, उक्त अवधि की समाप्ती के पूर्व तुरंत प्रचलित न्यूनतम दरें लागू रहेंगी। इस अनुच्छेद में शामिल शर्तें इसे लागू करने में नहीं रोकेंगी।

उपयुक्त सरकार किसी भी अनुसूचित नियोजन के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दर तय करें, जिसमें पूरे राज्य में ऐसे नियोजन से जुड़े कर्मचारियों की संख्या एक हजार से कम है, लेकिन अगर किसी भी समय उपयुक्त सरकार ऐसा समझती है,

[37]म.रे.(2), उ.रे.(8), द.प.रे.(2), डी.एल.डब्ल्यू (1)

जांच के पश्चात जो उसने खुद कराया है या करवाया है, कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में कर्मचारियों की संख्या, जिसकी न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने से बचा है, एक हजार या उससे अधिक हो गई है, वह न्यूनतम वेतन का न्यूनतम दर तय करेगी, जो ऐसे रोजगार में कर्मचारियों को देय होगा।

इस खंड के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित या संशोधित करने में,

(क) मजूदरी के विभिन्न न्यूनतम दर तय किए जा सकते हैं

(i) विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिए;

(ii) एक ही अनुसूचित नियोजन में कार्य के विभिन्न वर्गों के लिए;

(iii) वयस्क, किशोरावस्था, बच्चों और प्रशिक्षुओं के लिए;

(iv) विभिन्न इलाकों के लिए;

(ख) न्यूनतम मजदूरी की दर किसी एक या अधिक निम्न मजूदरी अवधि, अर्थात, घंटे, दिन माह के आधार पर या किसी अन्य बडी मजदूरी अवधि के अनुसार निर्धारित की जा सकती है; और जहां ऐसी दरों को दिन या महीने से तय किया जाता है, एक महीने के लिए या एक दिन के लिए मजदूरी की गणना करने का तरीके को तदनुसार, इंगित किया जा सकता है।

बशर्ते कि जहां मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 4 के तहत किसी भी मजदूरी की अवधि तय की गई है, वहां न्यूनतम मजदूरी उसके अनुसार तय की जाएगी।

मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) और इसके अधीनस्थ कार्यालय एमडब्ल्यूए, 1948 और एमडब्ल्यूआर, 1950 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। रेलवे बोर्ड ने दरों में संशोधन के संबंध में सीएलसी के आदेश समय-समय पर को सभी क्षेत्रीय इकाईयों को जारी किए हैं। जिसमें एमडब्ल्यूए, 1948 और एमडब्ल्यूआर, 1950 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और संविदा मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध करने के लिए उन्हें निर्देशित किया है।

लेखा परीक्षा ने चयनित 463 संविदा में संविदा **श्रमिक** के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन की समीक्षा की। लेखा परीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है:

2.6.1 ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

प्रावधानों के अनुसार[38], नियोक्ता (ठेकेदार) हर कर्मचारी को, बिना किसी कटौती के, समय-समय पर जारी अधिसूचना (श्रम आयुक्त के संबंधित क्षेत्राधिकार से)के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम दर पर भुगतान नहीं करेगा।

लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए 463 संविदाओं में से,

- केवल 105 संविदाओं के संबंध में, न्यूनतम मजदूरी को एमडब्ल्यूए, 1948 के प्रावधान के अनुसार भुगतान किया गया।
- 129 संविदाओं के संबंध में, संविदा श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने न्यूनतम वेतन के लिए संविदा अवधि के दौरान 3310 संविदा श्रमिकों को ₹ 9.23 करोड़ का कम भुगतान का आकलन किया; तथा
- 229 संविदाओं के संबंध में, मजदूरी के भुगतान से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के प्रावधानों का अनुपालन 23 प्रतिशत (463 में से 105) संविदाओं में मिला था।

अनुबंध 2.7

2.6.2 ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को विश्राम दिन (सामान्य दर पर) के लिए मजदूरी का भुगतान

नियम[39] यह भी प्रदान करते हैं कि जिन कर्मचारियों ने एक नियोक्ता के तहत एक अनुसूचित रोजगार में कम से कम छह दिनों तक निरंतर अवधि के लिए काम किया हो, जिसके लिए उस अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है, उन्हें सप्ताह के एक दिन विश्राम की अनुमति दी जाएगी जो आमतौर पर रविवार रहेगा, लेकिन नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या उस नियोजित रोजगार के वर्ग के कर्मचारियों के लिए सप्ताह के किसी भी दूसरे दिन को साप्ताहिक अवकाश निर्धारित कर सकता है।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 120 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन में विश्राम के दिनों के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया,
- 62 संविदाओं के संबंध में, निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और विश्राम दिनों के लिए संविदा अवधि के दौरान

[38]न्यूनतम मजदूरी अधिनियम1948 के धारा 12

[39]नयूनतम मजदूरी नियम 1950 के नियम 23 (1)

2745 संविदा श्रमिकों के लिए लेखा परीक्षा ने ₹ 5.41 करोड़ के न्यूनतम मजदूरी के कम भुगतान का आकलन किया।

- 42 संविदाओं के संबंध में, विश्राम दिनों के लिए मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका; तथा
- 239 संविदाओं के संबंध में, प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, विश्राम दिनों के भुगतान के प्रावधान का अनुपालन 26 प्रतिशत (463 में से 120) संविदाओं में मिला।

अनुबंध 2.8

2.6.3 प्रतिस्थापित विश्राम दिनों के लिए मजदूरी का सामान्य मजदूरी की दर से दोगुना का भुगतान

नियम[40] के अनुसार किसी कर्मचारी को विश्राम दिन के लिए मजदूरी दी जाएगी और संविदाओं में यदि वह विश्राम के दिन पर काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है, उसे ओवरटाइम दर पर शेष दिन के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जो अगले पूर्ववर्ती दिन पर लागू दर पर प्रतिस्थापन विश्राम दिन के लिए होगा।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 146 संविदाओं में, नियमानुसार मजदूरी की निर्धारित दर पर भुगतान किया गया।
- 49 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने न तो मजदूरों को कोई विश्राम प्रदान किया है और न ही विश्राम दिन की मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी की दोगुनी दर पर देय मजदूरी, का भुगतान किया।
- 268 संविदाओं में, प्रासंगिक अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए।

49 संविदाओं में, ठेकेदारों ने श्रमिकों को कोई प्रतिस्थापित विश्राम प्रदान नहीं किया। यहां तक कि विश्राम दिनों पर काम करने के लिए मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी की दर से दोगुना देय थी, जैसा कि नियमों के अनुसार आवश्यक था, का भुगतान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आकलन किया कि ठेकेदार द्वारा संविदा अवधि में 1823 ठेका मजदूरों को ₹4.41 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

अनुबंध 2.9

[40]न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 के नियम 23 (4)

2.6.4 निर्धारित कार्य के घंटे/दिनों और उसके अनुसार मजदूरी के भुगतान का अनुपालन

नियमों[41] के अनुसार संविदा श्रमिक की अधिकतम कार्य के घंटे, प्रति दिन 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम दिन 10 लगातार कार्यदिवस से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 199[42] संविदाओं में, ठेकेदारों ने काम करने के 10 निरंतर दिनों के पूरा होने से पहले श्रमिकों को विश्राम दिन प्रदान किया।
- 49[43] संविदाओं में, ठेकेदारों ने 10 दिन से लगातार काम करने के बाद भी श्रमिकों को कोई विश्राम दिन नहीं दिया। दो संविदाओं के संबंध में, संविदा श्रमिक एक दिन में 12 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कम पर लगे हुए थे जो वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन था[44]।
- 215 संविदाओं में, आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा श्रमिकों के लगातार दस दिनों से ज्यादा कार्य दिवसों के लिए कार्य न करने का अश्वासन, 44 प्रतिशत (463 में से 205) संविदाओं में प्राप्त कर सकी।

इसके अलावा, नियम[45] में वर्णित हैं कि जब कोई कामगार किसी भी दिन नौ घंटे से ज्यादा या किसी भी सप्ताह में 48 घंटों से अधिक समय के लिए काम करता है, तो वह ओवरटाइम के काम के संबंध में, मजदूरी की साधारण दर से दोगुनी मजदूरी का हकदार होगा।

लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए 463 संविदाओं में से,

- 30 संविदाओं में, ठेकेदारों ने 9 और 12 घंटों के बीच एक दिन में तैनात संविदा श्रमिक को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। लेखापरीक्षा ने संविदा अवधि के दौरान 830 संविदा श्रमिक को ₹1.74 करोड़ की राशि का कम भुगतान का आकलन किया;
- 193 संविदाओं में ठेकेदार ने नौ घंटे से अधिक समय तक संविदा श्रमिक को तैनात नहीं किया तथा
- 240 संविदा में, संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

अनुबंध 2.10

[41]नयूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 के नियम 23 (1)
[42]द.म. रे. (37) म. रे. (67) पू.रे. (4) उ.रे. (65) उ.प.रे. (10) द.प.रे. (10) आर पी यू मेट्रो (6)
[43]द.म. रे. (21) म. रे. (4) उ.रे.(8) उ.प.रे. (12) द.प.रे. (4)
[44]न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 के नियम 23 (2) और 24(2)
[45]न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 के नियम 25 (1) (बी)

2.7 श्रम आयुक्त द्वारा जांच और निगरानी

वर्णित प्रावधानों[46] के अनुसार, श्रम आयुक्त के अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के संविदा श्रमिक के अभिलेख, न्यूनतम मजदूरी आदि का भुगतान की जांच के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकते है। एकीकृत श्रमसुविधा पोर्टल को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निरीक्षण की रिपोर्टिंग और रिटर्न जमा करने के लिए विकसित (अक्टूबर 2014) किया गया है। पोर्टल को नियोक्ता, कर्मचारी और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क के एक बिंदु के रूप में, दैनिक पारस्परिक क्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए परिकल्पित किया गया है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा के एकीकरण के लिए, किसी भी श्रम कानून के तहत प्रत्येक निरीक्षणीय इकाई को एक श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) नियत किया गया है। वेब पोर्टल का उद्देश्य श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को संकलित करना है। यह निरीक्षण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को स्थापित करेगा। अनुपालन एकल सामंजस्य पूर्ण रूप में रिपोर्ट करने योग्य होगा जो ऐसे फॉर्म दाखिल करने वालों के लिए इसे सरल और आसान बनायेगा। दक्षता की निगरानी महत्वपूर्ण संकेतकों का उपयोग करके की जाएगी ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जा सके।

रेलवे प्रशासन द्वारा लेखापरीक्षा में दिखाए गए अभिलेख / दस्तावेजों की समीक्षा में संबंधित श्रम आयुक्त कार्यालय से प्राप्त कोई संसूचना/पत्र नहीं पाया गया, जिससे यह प्रकट हो कि उपरोक्त लिखित जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की गयी थी। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेख में कोई साक्ष्य नहीं दिखाया जा सका कि श्रम आयुक्त के अधिकारियों द्वारा उल्लिखित उपरोक्त शर्तों के तहत संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए निर्धारित नियमों और प्रावधानों की जांच के लिए निरीक्षण किए गए थे।

इस संबंध में, लेखा परीक्षा ने देखा कि एक नई निरीक्षण योजना[47] सितंबर 2015 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य, आई टी सिस्टम के उपयोग से अधिक पारदर्शिता और जबाबदेही लाना, निरीक्षणों को और अधिक प्रभावी और परिणाम उन्मुख बनाना और दुरुपयोग और मध्यस्थता के दायरे को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत इंटरफ़ेस को कम करना है। योजना ने आपातकालीन और अनिवार्य निरीक्षण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, श्रम कानूनों के समुचित प्रवर्तन की आवश्यकता के आधार पर जांच के लिए क्षेत्रीय आंकड़ों और शिकायतों को इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त एक केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाई (सीएआईयू) स्थापित करेगा। सीआईएयू निरीक्षण सीएलसी संगठन और अन्य

[46]सी एल आर नियम 1970 के धारा 22 और 28

[47]संख्या 01 (119)/2015 आई टी सेल, भारत सरकार, मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (सी), नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2015

केन्द्रीय और राज्य प्राधिकरणों के क्षेत्र इकाइयों, प्रभावित पक्षों और अन्य हितधारकों से प्राप्त शिकायतों/शिकायतें और श्रमसुविधा पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न सूचनाओं के आधार पर डिफ़ॉल्ट और गैर-अनुपालन के मामलों के बारे में जानकारी के आधार पर शुरू की जाएगी। उपरोक्त तीन प्रकार के निरीक्षणों में से चुने गए इकाइयां वैकल्पिक निरीक्षणों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें निर्धारित अनुपात में पूर्व-निर्धारित संख्या तालिकाओं का उपयोग करके कंप्यूटर के माध्यम से तैयार सूची के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा।

रेलवे के मूल नियोक्ता के साथ-साथ ठेकेदारों को प्रभावी ढंग से सीएलसी द्वारा श्रम कानूनों के निरीक्षण / कार्यान्वयन के लिए प्रभावी रूप से तभी शामिल किया जा सकेगा, यदि वे श्रम आयुक्त के संगठन में पंजीकृत हैं या उनके बारे में शिकायत प्राप्त की गई है। अतः श्रम आयुक्त के संगठन द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मूल नियोक्ता के साथ-साथ ठेकेदार का पंजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।